प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 02.10.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–:

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **16 वाहनों से कुल रू0 39,00/– शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए **290 भादवि में 30 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–10 व्यक्तियों को अन्र्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

गोण्डा। वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने विशेष अभियान के तहत जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 01.10.2019 को जनपद के थानों ने 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 55 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राममणि निषाद पुत्र श्याम लाल नि0 जैतपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0– 376/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. जानकी पुत्र चतुरी नि0 बड़कुईयॉ थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–378/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01.पवन कुमार सिंह पुत्र शिव शंकर सिंह, 2.अनूप उपाध्याय पुत्र शेष नरायण नि0 फेरापार पूरे बहोरी थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–227/19, धारा 60/60(20) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

जालसाजी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना को0 करनैलगंज पुलिस ने जालसाजी करने के आरोपी अभियुक्त– दीनानाथ पुत्र समयदीन नि0 बराव थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना को0 करनैलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–241/19, धारा 419.420. 467.468.471.504.506 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने वादी ललित कुमार पाण्डेय पुत्र रामकिशोर नि0 कल्यानपुर पूरे जोरावपुर थाना जामू जनपद अमेठी की जमीन को फर्जी व कूटरचित ढंग से बैनामा करा लिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0 करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0 करनैलगंज पुलिस ने आज दिनांक 02.09.2019 को मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को बस स्टाप करनैलगंज से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।